संख्या-01/2019/ 25 /कनिप्र/26-3-2019-13(163)/91

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1. निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।
2. संबंधित जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक : 10 जनवरी,2019

समाज कल्याण विभाग

विषय: अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-33/2018/1266/क.नि.प्र./26-3-2018-13(163)/91 दिनांक 16 अक्टूबर,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत बोरिंग कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अग्रिम आदेशों तक ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबावगंज गोण्डा को नोडल एजेन्सी के रूप में कार्यदायी संस्था नामित किया गया था।

2- शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 16 अक्टूबर,2018 द्वारा निर्धारित नि:शुल्क बोरिंग योजना के लक्ष्यों को वित्तीय वर्ष में समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने हेतु तात्कालिक प्रभाव से बोरिंग कार्य हेतु यथा- लघु सिंचाई विभाग, ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा, एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ तथा उ0प्र0 लघु उद्योग निगम, मुरादाबाद को संलग्नक के अनुसार संबंधित जनपदों में बोरिंग का कार्य कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त चयनित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा आवंटित जनपदों में बोरिंग कार्य को गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण कराया जायेगा। बोरिंग मानक के अनुरूप न कराये जाने अथवा फर्जी बोरिंग/डुप्लीकेसी होने की दशा में संबंधित संस्था के विरूद्ध नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

4- इस संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित/परिवर्धित समझे जाय।

संलग्नक:- यथोक्त ।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या- 01/2019/25/(1)/क.नि.प्र./26-3-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2- संबंधित समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह योजनान्तर्गत बोरिंग कराये जाने हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थियों/स्थल चयन शीघ्र करते हुए चयनित सूची नामित कार्यदायी संस्थाओं को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 लघु उद्दयोग निगम, मुरादाबाद।

5- अध्यक्ष, ग्रामोद्योग विकास संस्थान, नवाबगंज गोण्डा (वर्तमान पता- लखनऊ)

6- सचिव, एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, डा0 भीमराव अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधा श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-01/2019/ 25 /क0नि0प्र0/26-3-2019-13(163)/91

दिनांक 10 जनवरी,2019 का संलग्नक

(बोरिंग के कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्थाएं)

क्र.सं.	जनपद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम
1	2	3
1	अलीगढ़	लघु सिंचाई विभाग।
2	मथुरा	लघु सिंचाई विभाग।
3	मैनपुरी	लघु सिंचाई विभाग।
4	एटा	लघु सिंचाई विभाग।
5	बुलन्दशहर,	लघु सिंचाई विभाग।
6	बरेली	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
7	शाहजहांपुर	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
8	पीलीभीत	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
9	बदायूं	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम मुरादाबाद।
10	मुरादाबाद	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम मुरादाबाद।
11	जे0पी0 नगर	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम मुरादाबाद।
12	रामपुर	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम मुरादाबाद।
13	बिजनौर	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम मुरादाबाद।
14	प्रयागराज (इलाहाबाद)	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
15	कानपुर नगर	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
16	कानपुर देहात	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
17	इटावा	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
18	औरैया	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
19	कन्नौज	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
20	गाजीपुर	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
21	जौनपुर	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
22	गोरखपुर	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
23	देवरिया	लघु सिंचाई विभाग।
24	कुशीनगर	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
25	महाराजगंज	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
26	बस्ती	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
27	सन्त कबीर नगर	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
28	सिद्धार्थ नगर	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।

---2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	जनपद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम
1	2	3
29	गोण्डा	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
30	बलरामपुर	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
31	बहराइच	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
32	श्रावस्ती	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
33	आजमगढ़	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
34	मऊ	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
35	संभल	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम मुरादाबाद।
36	अयोध्या (फैजाबाद)	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
37	अम्बेडकर नगर	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
38	सुल्तानुपर	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
39	बाराबंकी	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
40	उन्नाव	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
41	रायबरेली	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
42	सीतापुर	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
43	हरदोई	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
44	खीरी	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
45	कांशीराम नगर	लघु सिंचाई विभाग।
46	फर्रुखाबाद	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
47	बलिया	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।

सुधा श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।